

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] No. 418] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/ JYAISTHA 26, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.िन. 606(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. सा.का.िन. 768(अ) तारीख 4 नवंबर, 2008 द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 ने स्कीम को अधिसूचित किया है;

और, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में अनुबंध किया था कि यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम की निधि प्रबंधक होगी ;

उक्त निधि प्रबंधक की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है;

और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 497(अ) तारीख 10 जुलाई, 2014 द्वारा केंद्रीय सरकार ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 जून, 2015 तक के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुनः नियुक्त किया था ;

भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1878(अ) तारीख 13 जुलाई, 2015 द्वारा 31 दिसंबर, 2015 तक और अवधि के लिए निधि प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पुन: नियुक्त किया है ;

भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1878(अ) तारीख 13 नवंबर, 2015 के लिए संशोधन द्वारा 31 मार्च, 2016 की और अवधि के लिए निधि प्रबंधक की अवधि बढ़ा दी थी ;

केंद्रीय सरकार ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से परामर्श करके निधि प्रबंधककी नियुक्ति के लिए प्रकीरताओं के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय में पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 पुन:नियुक्ति की सम्यक प्रक्रिया वचनबंध किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अनुसरण में और अधिसूचना सं. का.आ. 1878(अ) तारीख 13 जुलाई, 2015 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने

3065 GI/2016 (1)

का लोप किया गया है, 31 मार्च, 2019 की और अवधि के लिए पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के अधीन निधि प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पुन: नियुक्त करती है।

[फा.सं. 18-13/91-पी.एल.-एचएसएम.डी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 468(अ) तारीख 4 नवंबर, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2016.

G.S.R. 606(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 768 (E), dated the 4th November, 2008, notified a scheme, namely, the Environment Relief Fund Scheme, 2008;

And whereas, sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008 provided that the United India Insurance Company Limited shall be the Fund Manager of the said scheme for a period of five years from the date of notification of the said scheme;

And whereas, the five year term of the said Fund Manager expired on 3rd November, 2013;

And whereas, the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide a notification number G.S.R. 497 (E), dated the 10th July, 2014, reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 31st December, 2014;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 287 (E), dated the 30th January, 2015, reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 30th June, 2015;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1878 (E), dated the 13th July, 2015, reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 31st December, 2015;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change by an amendment to the notification number S.O. 1878 (E), dated the 13th July, 2015, extended the tenure of the Fund Manager for a further period upto 31st March, 2016;

And whereas, the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in accordance with the modalities for appointment of Fund Manager drawn by it in consultation with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, have undertaken due process of appointment or reappointment of Fund Manager under the Environment Relief Fund Scheme, 2008:

Now, therefore, in pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, and in supersession of notification number S.O. 1878 (E), dated the 13th July, 2015, the Central Government reappoints the United India Insurance Company Limited as Fund Manager, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, under the Environment Relief Fund Scheme, 2008, for a further period up to 31st March, 2019.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 768 (E), dated the 4^{th} November, 2008.